ज्ञापांक–**5940**/तक0 / 2023

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–14.10.2023

सेवा में,

M S KIJALK STARCH AGRO PVT LTD.,
DIRECTOR MR ASHOK KUMAR VERMA,
Kijalk Starch Agro Private Limited,
PLOT NO- R-02, ROYAM MOUZA, MUSABANI,
BLOCK, EAST SINGHBHUM , JHARKHAND.

विषयः– **मौजा–ROYAM, प्लाट नं0–R 02 ROYAM SURVEY PLOT NO- 03P 04F 05F 06F 07F 08F 09F 10F 11F 12F 3F 14F 15F 16F 17F 18P 19F 20P 145F 146F 147F 148F 150F 151F 152F 15F 154F 155F 156P 158F 159F160P161P 164P 193P 11 1209F AND 21 1210F, खाता नं0–229, 18,107,111,151,35,31,32,33,150,34 & 10, वार्ड नं0–N/A, थाना–GHATSILA, जिला–पूर्वी सिंहभूम में निर्मित फैक्ट्री भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित निर्मित फैक्ट्री भवन की स्थल का भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, बहरागोड़ा के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–254 दिनांक–13.10.2023 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार निर्मित फैक्ट्री भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. निर्मित फैक्ट्री के सामने वाले भाग में कम से कम 2,00,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस अंडरग्राउंड टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ–आउट कनेक्शन किये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. फैक्ट्री के चारों तरफ अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 150mm डायावाले एक रिंग मेन्स का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें प्रयेक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक–एक हाईड्रैण्ट का संस्थापन कराया जाय। प्रत्येक हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं दो–दो अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
4. पूरे फैक्ट्री भवन को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
5. निर्मित औद्योगिक परिसर के जिन क्षेत्रों में गृश / ऑयल / कैमिकल का भंडारण अथवा उत्पादन का प्रस्ताव है, उन क्षेत्रों को Foam pourer सिस्टम से सुरक्षित रखा जाय।
6. फैक्ट्री भवन के परिसर के अग्निशमन कार्य हेत कम से कम 3 Kg/Centimeter square के दाब पर हर जग जलापूर्त्ति उपलब्ध रहे। इसके लिए शक्तिशाली पपिंग की व्यवस्था की जाय।
7. फैक्ट्री भवन के सभी ऑफिस को एड्रेसेबल स्मोक डिटेक्टर विथ अलार्मिंग सिस्टम का संस्थापन कराया जाय।
8. अग्निशमन कार्य हेतु निर्मित किये जानेवाले पम्प हाउस में 2850 Lpm क्षमता का एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
9. 180 Lpm क्षमता का जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
10. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
11. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
12. फैक्ट्री के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले (Outward Openings) रहेंगे।
13. फैक्ट्री की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से कराया जाय।
14. भवन में प्रति 400 वर्गमीटर के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले दो–दो अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।

15. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय एवं मेन ईलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के पास फर्श पर कम से कम 30 MM मोटा रबड़ मैट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
16. फैक्ट्री के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
17. फैक्ट्री के प्रवेश एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
18. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 25 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
19. फैक्ट्री में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
20. फैक्ट्री भवन परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।

i. DCP Fire Extinguisher 06 kg	-	12 Nos.
ii. Fire Bucket	-	08 Nos.
iii. Form Extinguisher 09 Ltr	-	06 Nos.
iv. Fire Bitter	-	08 Nos.

21. वैस्ट मैटेरियल के प्रतिदिन डिस्पोजल हेतु समुचित व्यवस्था की जाय।
22. यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी परिस्थिति में ट्रेवल डिस्टेंस 30 मीटर से अधिक न हो।
23. फैक्ट्री भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
24. फैक्ट्री भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व फैक्ट्री भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
25. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
26. फैक्ट्री के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
27. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.7 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT,
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2023.10.15 16:14:42 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।